

भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर  
ICAR-Central Institute for Arid Horticulture  
Beechwal, Bikaner (Rajasthan)-334006  
दूरभाष न. 0151-2253123/2250960

**सीमित निविदा आमन्त्रण सूचना**

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की से निदेशक भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर निम्नलिखित कार्य सीमित निविदा के आधार पर करवाने हेतु प्रतिष्ठित पात्र एजेसियां/ठेकेदारों से मुहरबंद निविदाये आमन्त्रित करते हैं।

क्रम संख्या	कार्य का नाम	निविदा प्रपत्र राशि	बयाना राशि	निविदा प्रस्तुत करने की तिथि/ अंतिम समय	निविदा खोलने की तिथि/ समय
1.	संस्थान प्रक्षेत्र के नर्सरी ईकाई में खेजड़ी, बेर, आंवला, नींबू वर्गीय, बेलपत्र, जामुन, लसोडा, के लगभग अस्सी हजार (80,000) पौधों में कलिकायन का कार्य।	-	10000/-	21.07.2022 4.00 PM	22.07.2022 11.00 AM

उपरोक्त कार्य की विस्तृत निविदा सूचना, पूर्ण विवरण, निविदा प्रपत्र, नियम शर्तें एवं पूर्ण जानकारी संस्थान की वेब साईट [ciah.icar.gov.in](http://ciah.icar.gov.in) एवं [central.e-publish.portal/NIC](http://central.e-publish.portal/NIC) पर उपलब्ध है।

**प्रशासनिक अधिकारी**

# भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

## खुली निविदा कोटेशन

सेवामे,

श्रीमान निदेशक

भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर

बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान)

विषय: नर्सरी इकाई में फलदार एव स्थानीय पौधों में कलिकायन का कार्य सीमित निविदा से करवाने हेतु।

महोदय

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि नर्सरी इकाई में फलदार एव स्थानीय पौधों के लगभग अस्सी हजार (80,000) मूलवृत्त बडिग के लिये तैयार है। उनमें कलिकायन का कार्य जुलाई-सितम्बर, 2022 के मध्य करवाना आवश्यक है। उपरोक्त कार्य सीमित निविदा द्वारा अतिशीघ्र करवाने की आवश्यकता है। कार्य के लिये मूलवृत्त पौधों की संख्या निम्नानुसार होगी।

क्र.म. संख्या	कार्य का विवरण	समय अवधि	दर प्रति पौधा
1	खेजड़ी, बेर, आंवला, नींबू वर्गीय, बेलपत्र, जामुन, लसोडा, के लगभग अस्सी हजार (80,000) पौधों में कलिकायन का कार्य।	3 महीने (जुलाई-सितम्बर)	

उपरोक्त कार्य के लिये निम्नलिखित नियम शर्तों की पालना करना अनिवार्य है।

### नियम एव शर्तें

- उपरोक्त कार्य के लिए कलिका एवं अन्य आवश्यक सामग्री पौधशाला इकाई द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- सभी सफल एव असफल पौधे संस्थान के होंगे।
- कलिका संग्रहण का कार्य नर्सरी इकाई के तकनीकी सहायक की देखरेख में किया जायेगा।
- कलिकायन का कार्य समय पर ठीक से और सावधानी से किया जाना अनिवार्य है।
- कलिकायन कार्य जुलाई से सितंबर 2022 के दौरान पूरा किया जायेगा।
- अनुबंधकर्ता रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक कलिकायन का कार्य कर सकता है।
- यदि अनुबंधकर्ता नियत कार्य के दौरान नर्सरी के अंदर रहना चाहता है, तो वह प्रभारी सुरक्षा की अनुमति के साथ रह सकता है।
- कलिकायन कार्य पूरा होने के बाद सफल पौधों की गणना के अनुसार ही फर्म को भुगतान किया जायेगा। यदि फर्म इस दर पर आगे के वर्षों में भी कार्य करने के लिये सहमत है तो खुली निविदा आगे के वर्षों के लिये भी बढ़ाई जा सकती है।
- कार्य निर्धारित अवधि में पूरा न कर पाने की स्थिति में पेनल्टी अर्थ दण्ड (के 10% of

**Contract value** अतिरिक्त भविष्य में संस्थान के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुबंध के संबंधित विवाद होने पर परिषद द्वारा नियुक्त पंच को मामला भेजा जायेगा। पक्ष के निर्णय को मानने के लिए दोनों पक्ष बाध्य होंगे।

10. कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी नर्सरी के प्रमाणीकरण के अनुसार बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर 30 दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या अंकित की जानी आवश्यक है। ई-भुगतान के लिये निम्नांकित विवरण अनिवार्य है।

Certified that	
1.	Banker name & full address
2.	Bank Code
3.	Computerized complete account number
4.	Telephone & Fax No. of the Banker
5.	IFSC/RTGS/NEFT Code No. of the Bank
6.	PAN No.
7.	AADHAR No.
8.	Signature & Seal of the Agency

11. अनुबंध की अवधि में स्वयं अनुबंधकर्ता व उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान के अधिकारियों से शिष्टापूर्ण व्यवहार करना होगा एवं कार्य के दौरान अनुबंधकर्ता व उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसकी वसूली ठेकेदार के द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर बिल से की जावेगी।
12. निविदादाता को भुगतान से संबंधित मैनपावर कानूनों का पूर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले मैनपावर के भुगतान की संपुर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। Minimum wages, as prescribed by the Government of India from time to time should be payable to the personnel deployed by the Contractor for service to the office. No request for alternative/increase in the total cost once quoted by the Contractor /Agency should be permitted by ICAR-CIAH during the course Contract and incase of increase of Wages by Govt. of India and the agency should be wholly responsible to make payment to deployed personnel from their own resources.
- भुगतान से सम्बंधित कोई भी विवाद होने क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जवेगा ।
13. एजेंसी द्वारा लगाये जाने वाले कर्मियों द्वारा संस्थान की अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस प्रकार के नुकसान एवं अन्य किसी आपत्तिजनक गतिविधि के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी एवं इसकी वसूली एजेंसी के बिल में से की जावेगी।
14. एजेंसी द्वारा संस्थान में लगाये गये सभी मैनपावर को लेबर कॉन्ट्रैक्ट संबंधी सभी सुविधाएँ जैसे कि ई. पी. एफ., ई. एस. आई. करनी होगी (यदि लागू हो)
15. कार्यावधि के दौरान यदि किसी कार्मिक के समक्ष किसी भी प्रकार की दूर्घटना घटती है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन के अनुसार ठेकेदार/एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।
16. व्यवसाय कर जीसटी सहित अन्य सभी करों इत्यादि के सम्बंधित विभाग को भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं संस्थान अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।

17. अनुबंधकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित राशि के नोन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध विलेख के साथ रु. 10000.00 (रुपये दस हजार) मात्र का डीडी ICAR Unit CIAH, Bikaner के नाम बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।
18. पौधों की बडिंग के पश्चात पौधों से फूटान हटाना, कचरा निकालना, पानी देना, प्रकृतिक आपदा एवं जंगली जानवरों से बचाने की जिम्मेदारी फर्म/टेकेदार की होगी।
19. पौधों की देखभाल पांच सेंटीमीटर (5-8cm) की वृद्धि की अवस्था के पश्चात संस्थान को पौधे स्थानान्तरित करने होंगे।
20. कलिकायन के पश्चात कलियायुक्त पौधों में कलिका की वृद्धि कम से कम 5 से.मी. होने के पश्चात ही पौधे संस्थान को स्थानान्तरित होंगे। सम्बन्धित फर्म को कायदेशि जारी होने के पश्चात 5 दिन के अन्दर फर्म को कार्य शुरु करना होगा।
21. निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म का **पेन कार्ड एवं आधार कार्ड** की फोटो प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
22. निदेशक, के.शु.बा.स., बीकानेर बिना कोई कारण बंताए अनुबंध को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार होगा।

उपरोक्त कार्य सही समय एवं संलग्न शर्तों के अनुसार पूरा किया जायेगा।

फर्म के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

मोबाइल नं.-

ई-मेल-